वैट प्रश्नोत्तरी

प्रश्न : वैट-प्रणाली क्या है ?

उत्तर : मूल्य वर्द्धित कर वस्तुओं (एवं सेवाओं) के उत्पादन एवं वितरण के प्रत्येक चरण पर हुये मूल्य वर्द्धन पर अधिरोपित कर है। यदि किसी छड़ के विनिर्माता द्वारा इनगॉट की खरीद रू० 700.00 में की जाती है तथा उसके द्वारा रू० 1100.00 की दर से उत्पादित छड़ की बिक्री की जाती है एवं इनगॉट तथा छड़ पर कर की दर 4 प्रतिशत ही है तो उत्पादक द्वारा इनगॉट की खरीद पर रू० 28.00 कर चुकाया जायेगा परन्तु इस चुकाये गये कर का सामंजन छड़ की बिक्री के समय करने के पश्चात् छड़ पर सिर्फ रू० 16.00 का कर चुकाया जायेगा न कि रू० 44.00। जबकि बिक्री कर में स्थिति सर्वथा भिन्न होगी।

प्रश्न : वैट-प्रणाली में कर-दायित्व किन-किन व्यवसायियों पर होता है ?

उत्तर : वैट-प्रणाली में निम्न व्यवसायियों पर सामान्य रूप से कर दायित्व होता है :-

(क) वैसे व्यवसायी जिनकी सकल बिक्री राशि किसी लगातार 12 महिनों में रू० 5.00 लाख से अधिक हो;

(ख) विनिर्माता, आयातक या वैसे व्यवसायी जो आयकर अधिनियम 1961, इंडियन ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, बिहार उत्पाद शुल्क अधिनियम 1915, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट 1984 या माईन्स एण्ड मिनरल्स एक्ट 1957,का केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निबंधित हो अथवा कोई भी कॉरपोरेशन जो किसी अधिनियम के अन्तर्गत गठित हो या कोई भी कंपनी जो इंडियन कम्पनीज एक्ट 1956 के अन्तर्गत गठित हो तथा जो व्यवसायी या तो बैंकों के माध्यम से अभी जो व्यवसायी व्यवसाय स्थल में टेलीफोन का प्रयोग करते हैं की कर देयता प्रथम बिन्दु से निर्धारित होगी।

(ग) इसके अतिरिक्त ऐसे व्यवसायी जो बिहार वित्त अधिनियम 1981 के अन्तर्गत वर्तमान में निबंधित हो की कर देयता प्रारम्भ से ही होगी।

प्रश्न : वैट-प्रणाली में 'आयातक' कौन हो सकता है ?

उत्तर : जिन व्यवसायियों द्वारा बिक्री हेतु राज्य के बाहर से आयात किया जाता हो, वैट-प्रणाली के अन्तर्गत उन्हें ही आयातक माना जायेगा।

प्रश्न : वैट-प्रणाली में 'खरीद-कर' किन परिस्थितियों में लगेगा तथा दायित्व किस पर आयेगा?

उत्तर : यदि सम्व्यवहार के क्रम में ऐसी परिस्थिति बनती है कि किसी खरीदे गए माल पर कर देय होता किन्तु उस पर कर चुकाया नहीं गया एवं ऐसे माल या ऐसे माल से विनिर्मित माल की बिक्री न तो राज्य में की गई है और न ही अन्तर्राज्यीय व्यापार में, तो खरीद मूल्य पर उस वस्तु पर खरीद कर लगेगा और यह खरीदार द्वारा देय होगा। विनिर्माण के मामले में खरीद कर का सामंजन देय कर से किया जा सकेगा।

प्रश्न : वैट-प्रणाली में कर की दरें कितने प्रकार की है ?

उत्तर : वैट-प्रणाली के अन्तर्गत दर-संरचना निम्नवत् है :-

(क) गैर-वैटीय दर (Non-VAT) पेट्रौल, डीजल, ए0टी0एफ0, प्राकृतिक गैस, देशी एवं विदेशी शराब न्यूनतम 20 प्रतिशत दर

(ख) सोना, चाँदी, आभूषण एवं कीमती पत्थर-1 प्रतिशत

(ग) कर मुक्त सामानों पर 'O' Tax दर

(1) आवश्यक वस्तु, घोषित वस्तु एवं इनपुट-5 प्रतिशत (अनुलग्नक-1 में सूची संलग्न)

(2) शेष सभी वस्तुओं पर सामान्य दर 13.5 प्रतिशत

प्रश्न : शुन्य कर दर की अवधारणा क्या है ?

उत्तर : शुन्य कर दर से तात्पर्य है किसी भी वस्तु या सम्व्यवहार के मूल्य मे राज्य में अधिरोपित किसी भी प्रकार के अधिरोपित कर का शामिल नहीं होना। अर्थात् ऐसी परिस्थिति में बिक्रय पर तो कर नहीं ही लगेगा, उस वस्तु के खरीद या विनिर्माण के क्रम में चुकाए गए कर की वापसी या सामंजन किया जायेगा। जैसे-वैट के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात बिक्री पर शुन्य कर दर लागू है।

प्रश्न : वैट-प्रणाली में 'अतिरिक्त कर' एवं अधिभार (Surcharge **), का क्या अस्तित्व है ?**

उत्तर : वैट-प्रणाली में 'अतिरिक्त कर' एवं अधिभार (Surcharge) का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, विशेष स्थिति को छोड़कर।

प्रश्न : वैट-प्रणाली के अन्तर्गत निबंधन लेना किसके लिए जरूरी है ?

उत्तर : वैट-प्रणाली में उन व्यवसायियों को निबंधन लेना आवश्यक है जिन पर मूल्य वर्द्धित बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत कर-देयता स्थापित होगी। (कर-देयता के बिन्दु पर प्रश्न संख्या-3 के उत्तर का संदर्भ लें)

प्रश्न : क्या कोई व्यवसायी निर्धारित सीमा से वार्षिक बिक्री कम रहने पर भी निबंधन ले सकता है ?

उत्तर : हॉं, निर्धारित सीमा सें बिक्री कम रहने पर भी व्यवसायी वैट के अन्तर्गत निबंधन ले सकता है।

प्रश्न : निबंधन न लेने पर व्यवसायी को क्या नुकसान हो सकता है ?

उत्तर : निबंधन के योग्य रहने के बावजूद निबंधन न लेने पर व्यवसायी के विरूद्ध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अनिबंधित व्यवसायी से खरीदे गए माल पर क्रेता व्यवसायी को इनपुट टैक्स रिबेट का भी लाभ मिलेगा।

प्रश्न : TIN क्या है ?

उत्तर : **TIN** का पूरा नाम Taxpayer Identification Number (कर दाता पहचान संख्या) है। प्रत्येक व्यवसायी को निबंधन लेने के साथ यह विशिष्ट नम्बर विभाग द्वारा दिया जाता है। जो व्यवसायी की पहचान होगी तथा यह संख्या व्यवसायी के विशिष्ट पहचान में सहायक होगा। इसे अपनी व्यवसाय की जगह लगाना जरूरी है।

प्रश्न : वैट- प्रणाली में विवरणी का स्वरूप कैसा है ?

उत्तर : वैट प्रणाली में प्रत्येक व्यवसायी जो निबंधित होंगे, को त्रैमासिक विवरणी तथा वार्षिक विवरणी जमा करनी होगी। जिन व्यवसायी का Turnover एक करोड़ से ज्यादा होगा उन्हें VAT Audit कराना अनिवार्य है।

प्रश्न : वैट-प्रणाली में 'स्व-कर-निर्धारण' किन-किन व्यवसायियों हेतु होगा ?

उत्तर : किसी वित्तीय वर्ष में किसी भी निबंधित व्यवसायी द्वारा वार्षिक विवरणी जमा करने के साथ ही यह माना जायेगा कि व्यवसायी का कर-निर्धारण सम्पन्न हो चुका है।

प्रश्न : 'इनपुट' किसे कहते है वैट-प्रणाली में 'इनपुट' का क्या मतलब है ?

उत्तर : 'इनपुट' का अर्थ है कि निम्न प्रयोजनों के लिए खरीदा गया माल-

(क) पुनर्बिक्रय के लिए

(ख) बिक्री हेतु अन्य मालों के उत्पादन में उपयोग करने के लिए

(ग) उत्पादन प्रक्रिया की प्लान्ट एवं मशीनरी हेतु

(घ) पैकिंग के लिए।

प्रश्न : इनपुट-टैक्स क्या है ?

उत्तर : एक निबंधित व्यवसायी द्वारा राज्य के अन्दर दूसरे निबंधित व्यवसायी से खरीदे गए माल पर चुकाया गया कर या टैक्स ही 'इनपुट' टैक्स कहलाता है।

प्रश्न : इनपुट टैक्स रिफंड क्या है ?

उत्तर : व्यवसायी द्वारा किए गए सम्व्यवहारों के विरूद्ध जब इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि का देय कर में समायोजन न हो सके तो इस स्थिति में इनपुट टैक्स क्रेडिट की वापसी की जाएगी और इसे 'इनपुट टैक्स रिफंड' कहेंगे। ऐसे कर वापसी की सुविधा सिर्फ देश के बाहर किये जाने वाले निर्यातों पर ही देय होगा। अन्यथा स्थिति में इसे भविष्य की कर देयता से सामंजित किया जा सकेगा। (इस स्थिति में भी 24 महिनों के बाद भी कर सामंजन नहीं हुआ हो तो नगद वापसी संभव हो पायेगी)

प्रश्न : क्या 'इनवाईस' को विभाग द्वारा प्रमाणित कर दिये जाने के पश्चात् ही एक व्यवसायी द्वारा दूसरे व्यवसायी को जारी किया जा सकेगा ?

उत्तर : इसकी आवश्यकता नहीं होगी।

प्रश्न : ''वैट-प्रणाली'' में व्यवसाय-स्थल का निरीक्षण कब किया जायेगा ?

उत्तर : व्यवसायी की कर-अपवंचना के साक्ष्यों से संबंधित समस्त सूचनाएँ/आँकड़ें प्राप्त के पश्चात् तथा सक्षम पदाधिकारी की लिखित पूर्वानुमति के उपरान्त संबंधित व्यवसायी के यहाँ पदाधिकारियों की एक टीम निरीक्षण करेगी।

प्रश्न : ''वैट-प्रणाली'' में टैक्स 'ऑडिट' का क्या अर्थ है ?

उत्तर : वैसे व्यवसायी जिनकी सकल आवर्त 1 करोड़ रूपयों से अधिक है, उन्हें वैट में भी टैक्स ऑडिट करवाने की बाध्यता होगी। इसे ही वैट विधायन में टैक्स ऑडिट का नाम दिया गया है। ज्ञातव्य है कि आज भी ऐसे व्यवसायी जिनकी सालाना बिक्री 60 लाख रूपयों से अधिक है, उन्हें आयकर अधिनियम के अन्तर्गत टैक्स ऑडिट करवाना ही पड़ता है। अतएव् इस प्रावधान के कारण व्यवसायियों पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।

प्रश्न : वैट-प्रणाली में अन्य अधिनियमों जैसे केन्द्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर, विद्युत शुल्क अधिनियम इत्यादि की क्या स्थिति होगी ?

उत्तर : वैट-प्रणाली बिहार वित्त अधिनियम के स्थान पर लागू की गयी है। केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम, प्रवेश-कर, मनोरंजन-कर, तथा विद्युत शुल्क अधिनियम यथावत् रखा गया है। केन्दीय बिक्री कर अधिनियम शनैः समाप्त हो जायेगा तथा तत्काल प्रवेश कर का सामंजन वैट से किये जाने का प्रावधान है।

प्रश्न : वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट/हायर परचेज/लीजिंग पर वैट प्रणाली में कर की क्या व्यवस्था होगी ?

उत्तर : वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट हेतु पूर्व के अधिनियम की तरह ही वैट प्रणाली में भी बिक्री की परिभाषा बनी रहेगी तथा इन सम्व्यवहार के दौरान मालों की खरीद पर चुकाए गए वैट-राशि के रिबेट की सुविधा अन्य सम्व्यवहारों के समान होगी। स्रोत पर कर-कटौती की वर्त्तमान व्यवस्था की तरह ही वैट में भी कर कटौती भी प्रस्तावित है। लीजिंग एवं हायर परचेज को बिक्री की परिभाषा के अन्तर्गत रखने की स्थिति

वैट प्रणाली में भी होगी। इन सम्व्यवहारों पर भी नियमानुसार रिबेट की सुविधा होगी।

प्रश्न : यदि 5 प्रतिशत की दर से कम दर वाली वस्तुओं को वैट चुका कर खरीदने के बाद अन्तर्राज्यीय बिक्री की जाती है तो क्या उसे पुनः केन्द्रीय बिक्री कर चुकाने का दायित्व आयेगा या पूर्व में चुकाये गए वैट की वापसी होगी?

उत्तर : अन्तर्राज्यीय बिक्री पर केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अनुसार कर लगेगा तथा वैट के रूप में इनपुट टैक्स रिबेट (चुकाये गए वैट के बराबर) मिलेगा।

प्रश्न : 'वैट-प्रणाली' में छोटे करदाताओं के लेखा-जोखा रखने की व्यवस्था बड़े करदाताओं से क्या भिन्न होगी ?

उत्तर : वैट-प्रणाली में छोटे करदाताओं के लेखा-जोखा रखने की व्यवस्था बड़े करदाताओं से भिन्न होगी, अगर वे प्रावधान के अन्तर्गत कम्पाउडिंग स्कीम के अन्तर्गत आते हैं। इस स्कीम के तहत मोटे तौर पर उन्हें कम से कम लेखा रखने की जरूरत होगी तथा कम्पाउडिंग के आधार पर त्रैमासिक विवरणी के साथ कर जमा करेंगे तथा उसी आधार पर उनका स्व-कर-निर्धारण होगा।

प्रश्न : क्या वैट-प्रणाली में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत कोई परिवर्तन किया जायेगा ?

उत्तर : केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम केन्द्र का विषय है। वैट-प्रणाली के आदर्श रूप तथा शत्-प्रतिशत सफलता के लिए केन्द्रीय बिक्री कर चरणबद्ध रूप में अगले तीन वर्षों में समाप्त करना प्रस्तावित है।

प्रश्न : बिहार वैट नियमावली के अन्तर्गत फारम RT-I को भरते समय किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक हैं ?

उत्तर :
- RT-I के भाग क में बीते तिमाह के विभिन्न व्यवसायियों को की गई बिक्री का समेकित विवरण दिया जाना है। विवरण भतरे समय व्यवसायी का पूरा नाम, उसका करदाता पहचान संख्या स्पष्ट रूप से भरा होना चाहिए।
- उसी प्रकार भाग ख को भरते समय यह ध्यान रखा जाये कि व्यवसायी का पूरा नाम एवं उसका करदाता पहचान संख्या अवश्य दिया जाय।
- भाग क अथवा ख को भरते समय यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि सूचनाएं उसी फॉर्मेट में दी जाये जिस फार्मेट में RT-I विहित है। साथ ही, यह ध्यान देना आवश्यक है कि अनिबंधित व्यवसायियों को की गई बिक्रियों अथवा उनसे की गई खरीद की प्रविष्टि करते समय ऐसे व्यवसायियों का पूरा नाम एवं उनका पूरा पता अवश्य अंकित किया जाय।
- विभाग द्वारा RT-I हेतु एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। जिन व्यवसायियों द्वारा व्यवसाय का लेखा कम्प्यूटर के माध्यम संधारित किया जाता हो वे इस सॉफ्टवेयर से संबंधित सी.डी. संबंधित अंचल से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न : वैट के अन्तर्गत विभिन्न वैधानिक प्रपत्रों की स्थिति क्या है एवं ये कैसे प्राप्त किये जा सकते है?

उत्तर : वैट के अन्तर्गत मालों के परिवहन के क्रम में तीन प्रकार के घोषणा पत्रों (रोड परमिट) का प्रयोग होता है। D-VIII (राज्य के अंदर 50,000.00 रूपयों से अधिक कीमत के मालों के परिवहन हेतु), D-IX (राज्य के बाहर से 10,000.00 रूपयों से अधिक मालों के आयात हेतु एवं D-X (राज्य से बाहर 10,000.00 रूपयों से अधिक मालों के निर्यात हेतु)। इनमें फार्म D-VIII & D-X के छपवाने का अधिकार व्यवसायियों को दिया हुआ है।

फार्म **D-IX** प्रपत्र का उपयोग दिनांक 5 जुलाई, 2012 से बंद कर दिया गया है। अब राज्य के बाहर से माल मंगाने हेतु ''सुविधा'' **(SUVIDHA)** नियम के तहत वाणिज्यकर विभाग के बेवसाईट से सुविधा नम्बर (**e-Road Permit No.**) जेनरेट किया जाता है। जो **D-IX** फार्म के बदले माल के परिवहन के समय रास्ते में जाँच होने पर उपयोग किया जाता है।

प्रश्न : सुविधा संख्या प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है।

उत्तर : सुविधा संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया जानने हेतु Generate e-Road Permit को क्लिक करें।

प्रश्न : वैधानिक प्रपत्र किस व्यक्ति को उपलब्ध करवाये जाने की व्यवस्था है ?

उत्तर : नियमानुसार प्रपत्र निम्न व्यक्तियों को हस्तगत करवाये जा सकते हैं :-

(क) व्यवसाय के मालिक/साझेदार/डायरेक्टर/या एच.यू. एफ. के कर्त्ता,

(ख) प्रपत्र III में घोषित प्रबंधक

प्रश्न : कार्य संवेदकों (Contractor/ Supplier) के भुगतान से श्रोत पर कर की कटौती की सीमा क्या है ?

उत्तर : कार्य-संवेदकों के किसी भी राशि के भुगतान से श्रोत पर कर की कटौती कर ली जानी है। अब इसके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

प्रश्न : वाणिज्य कर विभाग से 'C' फार्म प्रपत्र निर्गत होने बन्द हो गये हैं? अब इन्हें प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है ?

उत्तर : दिनांक 14 अगस्त, 2012 से वित्तिय वर्ष 2012-13 के प्रथम तिमाही एवं उसके बाद के तिमाहियों के 'C' फार्म प्रपत्र की उपलब्धता ओनलाईन कर दी गयी है। अब इन्हें इन्टरनेट के माध्यम से वाणिज्य कर विभाग के वेवसाईट पर खरीद बिलों का विवरण दाखिल कर प्राप्त किया जा सकता है। 'C' फार्म प्रपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया जानने हेतु Create 'C' Form online को क्लिक करें।

DISCLAIMER

The Information made available here are purely as a measure to give basic knowledge to our accredited members. The provisions of *the Acts, Rules, Notifications and Circulars or instructions shall prevail as per current Law.* The Bihar Chamber of Commerce & Industries will not be liable for any consequences, legal or otherwise, arising out of the use of any such information given here.

For further / complete / update Information contact your legal advisor.